



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 131-2021/Ext.]

चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 13 अगस्त, 2021
(22 श्रावण, 1943 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या सांकांनि०-15/संवि०/अनु० 309/2021, दिनांक 13 अगस्त, 2021 — हरियाणा राजस्व (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2021.	393—396
भाग IV	शुद्धि पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

भाग—III**हरियाणा सरकार**

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 अगस्त, 2021

संख्या सांका०नि० 15/संवि०/अनु० 309/2021.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राजस्व (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1988, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- ये नियम हरियाणा राजस्व (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।
- हरियाणा राजस्व (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1988 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 में, "तीस" शब्द के स्थान पर, "बयालीस" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- उक्त नियमों में, नियम 9 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ख) में, उप-खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(i) 50 प्रतिशत हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) तथा संबद्ध सेवा परीक्षा के आधार पर नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा ; ”।

- उक्त नियमों में, नियम 15 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“15 (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा-संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में यथा विनिर्दिष्ट है। ”।

- उक्त नियमों में, परिशिष्ट क के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परिशिष्ट क
(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	तहसीलदार	96	एफ पी एल —9, सैल 1 — 53100/— रुपये
2.	नायब तहसीलदार	219	एफ पी एल —7, सैल1— 44900/— रुपये”।

- उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में, —

(क) क्रम संख्या 1 तथा 2 के सामने, खाना 3 तथा 4 के नीचे, विद्यमान मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत” ;

(ख) क्रम संख्या 2 के सामने, खाना 4 के नीचे, “पदोन्नति द्वारा” शीर्ष के नीचे, विद्यमान मद (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(iii) काननूगो, जिला राजस्व लेखाकार या वित्तायुक्त, हरियाणा कार्यालय के वरिष्ठ राजस्व लेखाकार के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव और जिसने नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।”।

7. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ग तथा घ के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“परिशिष्ट ग

[देखिये नियम 15 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1.	तहसीलदार	वित्तायुक्त राजस्व	1. छोटी शास्तियां— हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, में यथा विनिर्दिष्ट ।	मण्डलीय आयुक्त	वित्तायुक्त राजस्व	सरकार ”
2.	नायब तहसीलदार		2. बड़ी शास्तियां — हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, में यथा विनिर्दिष्ट ।	वित्तायुक्त राजस्व,	सरकार	—

परिशिष्ट घ

[देखिये नियम 15 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	तहसीलदार	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ;	वित्तायुक्त राजस्व	सरकार ।” ।
2.	नायब तहसीलदार	(ii) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।		

8. उक्त नियमों में, परिशिष्ट झ में, तालिका में, खाना 2 के नीचे, क्रम संख्या (7) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

- “पर्चा VII (क.) हरियाणा सिविल सेवा (वैतन) नियम, 2016 ;
 (ख.) हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी भत्ते) नियम, 2016 ;
 (ग.) हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 ;
 (घ.) हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 ;
 (ङ.) हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 ;
 (च.) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 ।” ।

संजीव कौशल,
 वित्तायुक्त राजस्व एवं अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
 राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT**REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT****Notification**

The 13th August, 2021

No. G.S.R 15/Const./Art.309/2021.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Revenue (Group B) Service Rules, 1988, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Revenue (Group B) Service (Amendment) Rules, 2021.
2. In the Haryana Revenue (Group B) Service Rules, 1988 (hereinafter called the said rules), in rule 5, for the word “ thirty ” the word “ forty two ” shall be substituted.
3. In rule 9, in sub-rule (1), in clause (b), for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(i) 50% by direct recruitment of persons recommended by the Commission for appointment to the post of Naib-Tehsildar on the basis of Haryana Civil Services (Executive Branch) and Allied Services Examination ;”.

4. In the said rules, for rule 15, the following rule shall be substituted, namely:-

“15(1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2)The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and appellate authority shall be specified in Appendix D to these rules.”.

5. In the said rules, for appendix A, the following appendix shall be substituted, namely :-

“Appendix A
(see rule 3)

Serial No.	Designation of posts	Number of posts	Scale of Pay
1	2	3	4
1.	Tehsildar	96	FPL -9, Cell 1- ₹ 53100/-
2.	Naib Tehsildar	219	FPL-7, Cell 1- ₹ 44900/-

6. In the said rules, in Appendix B,-

- (a) against serial number 1, under column 3, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :-

“(i) Graduation from a recognized university or its equivalent :

(ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject Matric or higher education” :

- (b) against serial number 2, under column 3 and 4, for existing item (ii), the following item shall be substituted, namely :-

(ii) Hind or Sanskrit as one of the subject in Matric or higher education”:

- (c) against serial number 2, under column 4, under heading “ By promotion”, for item (iii), the following item shall be substituted, namely :-

“(iii) Five years experience as Kanungo or District Revenue Accountant or Senior Revenue Accountant of Financial Commissioner’s office, Haryana and who has qualified departmental examination of Naib Tehsildar”.

7. In the said rules, for appendices C and D, the following Appendices shall be substituted, namely :-

“APPENDIX C

[see rule-15(I)]

Serial Number	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority	Second and final Appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1. 2.	Tehsildar Naib Tehsildar	Financial Commissioner Revenue	(1) Minor penalties:- As specified in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal), Rules 2016 (2) Major penalties:- As specified in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal), Rules 2016	Divisional Commissioner Financial Commissioner Revenue	Financial Commissioner Revenue Government	Government ---

APPENDIX D

[see rule-15(2)]

Serial Number	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1. 2.	Tehsildar Naib Tehsildar	(a) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension ; (b) terminating the appointment of the member of service otherwise than upon his attaining the age fixed for superannuation	Financial Commissioner Revenue	Government

8. In the said rules , in Appendix ‘I’, in the table, under column 2, against serial number (7), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :-

“ Paper VII (a) Haryana Civil Services (Pay) Rules, 2016;
(b) Haryana Civil Services (Allowances to Government Employees) Rules, 2016 ;
(c) Haryana Civil Services (General) Rules, 2016;
(d) Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016;
(e) Haryana Civil Services (Conduct of Government Employees) Rules, 2016;
(f) Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.”.

SANJEEV KAUSHAL,
Financial Commissioner Revenue and
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department, Chandigarh.